CERTIFICATE IN CONSUMER PROTECTION (CCP)

Term-End Examination December, 2023 CPI-102: REDRESSAL OF CONSUMER GRIEVANCES: ROLE OF VARIOUS STAKEHOLDERS

Time: 3 Hours Maximum Marks: 100

Note: (i) This question paper is divided into three Parts—Part A, Part B and Part C.

(ii) All Parts are compulsory.

Part—A

Note: Write short notes on any four of the following in about 150 words each. Each question carries 5 marks. 4×5= 20

- 1. Objectives of advertisement
- 2. Grahak Suvidha Kendras
- 3. Voluntary Consumer Organisation
- 4. Functions of Ombudsman
- 5. Characteristics of NGO

[2] CPI-102

Part—B

Note: Answer any five of the following questions in about 300 words each. Each question carries

10 marks.

5×10=50

- 6. What are the laws which govern advertisement? Discuss.
- 7. Write a note on Bureau of Indian Standards (BIS).
- 8. What are the functions of National Consumer Helpline (NCH)? Discuss in brief.
- 9. What are the grounds of complaint under the Regulation 13 of SEBI (Ombudsman)
 Regulation, 2003? Also discuss the procedure to file a complaint.
- 10. Discuss the strategies of effective campaign and advocacy programmes.
- 11. Write a note on Consumer International.
- 12. What is Arbitration ? Discuss the role of arbitrator and how is he appointed.

[3] CPI-102

Part—C

Note: Answer any two of the following questions in about 500 words each. Each question carries

15 marks. 2×15=30

- 13. Write notes on the following:
 - (a) Consumer Welfare Fund
 - (b) Jurisdiction of Consumer Forums
- 14. Write notes on the following:
 - (a) The major function of FICCI
 - (b) Main functions of Confederation of Indian Industry (CII)
- 15. Write a note on Telecommunication
 Ombudsman in India.
- 16. What are Voluntary Consumer Organisations? Explain the concept of consumerism.

CPI-102

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण-पत्र (सी. सी. पी.)

[4]

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर. 2023

सी.पी.आई.-102 : उपभोक्ता शिकायतों का निवारण : विविध हितधारकों की भूमिका

समय : 3 घण्टे अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) प्रश्न-पत्र **तीन** भागों—भाग क, भाग ख और भाग ग में विभाजित है।

(ii) सभी भाग करना अनिवार्य है।

भाग-क

- नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **150** शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। 4×5=20
- 1. विज्ञापन के उद्दश्य
- 2. ग्राहक सुविधा केन्द्र

- 3. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन
- 4. लोकपाल के कार्य
- 5. गैर-सरकारी संगठन की विशेषताएँ

भाग—ख

- नोट : निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **300** शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। 5×10=50
- विज्ञापनों को किन कानूनों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है ? चर्चा कीजिए।
- 7. भारतीय मानक ब्यूरो (बी. आई. एस.) पर एक नोट लिखिए।
- राष्ट्रोय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एन. सी. एच.) के प्रकार्यों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
- सेबी (लोकपाल) विनियम, 2003 के विनियम 13 के अन्तर्गत शिकायत दर्ज कराने के आधार क्या हैं ? शिकायत दर्ज कराने की कार्यविधि की भी चर्चा कीजिए।
- 10. किसी प्रभावी किस्म के अभियान एवं पक्ष-समर्थन (हिमायत) कार्यक्रम की रणनीतियों की चर्चा कीजिए।
- 11. कंज्युमर इंटरनेशनल पर एक नोट लिखिए।

12. मध्यस्थता क्या है ? मध्यस्थ की भूमिका की चर्चा कीजिए और बताइए कि इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है।

भाग-ग

- नोट: निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक) लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। 2×15=30
- 13. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (क) उपभोक्ता कल्याण निधि
 - (ख) उपभोक्ता फोरमों के अधिकार-क्षेत्र
- 14. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (क) फिक्की (FICCI) के मुख्य प्रकार्य
 - (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी. आई. आई.) के मुख्य प्रकार्य
- 15. भारत में दूरसंचार लोकपाल पर एक नोट लिखिए।
- 16. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन क्या हैं ? उपभोक्तावाद की संकल्पना का वर्णन कीजिए।